पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेसपोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 06.02.2024 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के निर्णय दिनांक 10.01.2024 नॉन स्पीकिंग कारण रहित है जो निर्णय की परिभाषा में नही आता है तथा प्रार्थी खसरा नम्बर 421 रकबा 0.04 गैरमुमकीन चाह का खातेदार है खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही की जा सकती। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के द्वारा अन्तिरम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित निर्णय दिनांक 10.01.2024 को स्थगित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपारक्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद के द्वारा पारित एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.01.2024 को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2021 (2) आर0आर0टी0 पेज 1417, 2014(1) डी0एन0जे0 राज0 पेज 35, आर0आर0टी0 2021(2) पेज संख्या 754 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.01.2024 को पारित की गई तथा दिनांक 20.02.2024 की तारीख पेशी नियत की गई है। उक्त आदेश को अभी तक 30 दिवस नहीं हुए है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। यदि अपीलांट को उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा से किसी भी प्रकार को कोई उज्र हो तो वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत कर उसका निस्तारण करवा सकते है। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एक तारीख विशेष पेशी तक दी गई है जिसकी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है जो कि विवादित आराजीयात को खुर्द बुर्द न होने एवं आराजीयात को संरक्षित रखने के उद्देश्य से पारित की है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें।

सर्वप्रथम अपील को मियाद बिंदु के संदर्भ में देखा गया। अपीलाधीन आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद प्रकरण संख्या 1/2024 बउनवानी कैलाश वगैराह बनाम रामकरण वगैराह दिनांक 10.1.2024 का है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में दिनांक 31.1.2024 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है, अपील अंदर मियाद है।

स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.1.2024 नॉन स्पीकिंग कारण रहित है। जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। प्रार्थी खसरा नम्बर 421 रकबा 0.04 गै0मु0 चाह का खातेदार है। तथा खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार के अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 10.1.2024 को स्थगित नहीं किया गया तो अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन भी अपने पक्ष में बताया और अंत में अपीलाधीन आदेश को स्थगित किए जाने हेतु निवेदन किया।

बहस अपीलांट अभिभाषक व केवियेटर अभिभाषक सुनी गई। अपीलांट अभिभाषक ने बताया कि रेस्पोडेंट 1 व 2 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद के समक्ष धारा 88, 53, 188 आरटी एक्ट के तहत मय 212 प्रार्थना पत्र के वाद लाया गया था विवादित भूमि ग्राम झाग में स्थित है तथा विवादित खसरा नम्बर में यह सहखातेदार नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा अपने आप को लाडू का वारिसान बताया है तथा लाडू पुत्र बिंजा के नाम पर्चा आना बताया है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.1.2024 नॉन स्पीकिंग आदेश है। हम दोनों खसरा नम्बर बाबत खातेदार है कुए बाबत टीआई नहीं होती है। लाडू ने स्वयं भूमि विकय की थी तब इसके वारिस आए है। टीआई सिर्फ एक खसरा नम्बर हेतु मांगी गई थी। 2014–2016 में हमें भूमि विकय की तब से हम खातेदार हैं। मूल खातेदार से हमने भूमि को कय किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पहली पेशी 40 दिन की दी गई थी जबकि न्यायिक दृष्टांत जगदीश बनाम भोपालाराम में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रामकरण बनाम कैलाश (22/2024)

30 दिन में निर्णय के निर्देश है इनका कहना है कि खसरा नम्बर 421 से ग्राम वासियान पानी भरते हैं। वकील अपीलांट द्वारा बहस में निम्न न्यायिक दृष्टांत बाबत कथन किए है–डीएनजे/2014 पेज 35, एआईआर एस0सी 2002 पेज 3032, आरआरटी 2021 पेज 1417, आरआरटी 2021 वो02 पेज 753 अंत में निवेदन किया कि स्थगन को वेकेट किया जाए और 30 दिन में पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित की जाए।

वकील केवियेटर ने बहस में बताया कि अपील मेंटनेबल नहीं है। क्योंकि अगली पेशी तक अंतरिम निषेधाज्ञा बाबत आदेश जारी किया गया है यह हमारी प्राथमिक आपत्ति है। अगली पेशी दिनांक 20.2.2024 की है। जो अभी तक आई नहीं है, हमारा दावा 88 आरटी एक्ट का है खेत संख्या 887 खसरा नम्बर 421 कुए से पानी पीता है। लाडू पुत्र बिंजा जन्म से अंधा था। इसका फायदा इन्होंने उठाया विक्रय पत्र नुमाइशी थे। खसरा नम्बर 887 में हम सहखातेदार है। गै0मु0 चाह इनके नाम होने से खुर्द बुर्द कर रहे है। दिनांक 10.1.2024 को बैचान रामकरण द्वारा बिरदीचंद रामलाल के पक्ष में किया गया जमीन अब रामकरण के नाम नहीं कुआ व जमीन दोनों इनके द्वारा बेच दिया गया है। इन्हें अपूर्णीय क्षति नहीं है।

रिबूटल में वकील अपीलांट ने बताया कि 60 से 70 वर्ष बाद लाडू द्वारा जमीन बेचान कि गई है इन्होंने हमें पक्षकार बनाया खातेदार ने भूमि विक्रय की थी।

बहस बिंदुओं पर मनन किया गया। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत निम्नानुसार है– डीएनजे/2014 पेज 35 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955–धारा 212, 225(1)रिसीवर नियुक्ति का आदेश–आदेश के विरूद्ध रिट याचिका पोषणीयता आनुकल्पिक उपचार रिसीवर नियुक्ति का आदेश अंतिम आदेश है और अपील का उपचार धारा 225(1) के अंतर्गत उपलब्ध है–धारा 212 के अंतर्गत पारित कोई भी आदेश चाहे अंतिम हो या अंतरिम, अधिनियम की धारा 212 के अंतर्गत अपील योग्य है–निर्णीत, याचिका खारिज होने योग्य है। एआईआर एस0सी 2000 पेज 3032, आरआरटी 2021 पेज 1417 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा एक पक्षीय अंतरिम स्थगन आदेश आगे बढाने से इंकार किया आदेश के विरूद्ध निगरानी आदेश धारा 225 के अंतर्गत अपील योग्य है–एसडीओ द्वारा पारित आदेश अंतरिम आदेश है–निर्णीत निगरानी पोषणीय नहीं है व खारिज की। आरआरटी 2021 वो02 पेज 753 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 अंतरिम स्थगन आदेश राजस्व मण्डल ने स्थगन आदेश का कियान्वन स्थगित किया धारा 225 के अंतर्गत आदेश अपील योग्य था निगरानी पोषणीय नहीं थी निर्णीत, आदेश अपास्त किया व पुनः निर्णीत करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रतिप्रेषित किया।

जमाबंदी ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद खाता संख्या नया 622 वर्तमान अपीलांट के नाम दर्ज है। उक्त खाता संख्या में खसरा नम्बर 421 रकबा 0.0400 है0 गै0मु0 चाह दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 623 में अपीलांट का हिस्सा 313/570 है तथा लाडू पुत्र बिंजा का हिस्सा 257/570 दर्ज है। खसरा नम्बर 887 रकबा 0.5700 है0 चाही–3 दर्ज है।

अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.01.2024 का ऑपरेटिव अंश निम्नानुसार है– **अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जाती है कि विवदित आराजी खाता संख्या 622 के खसरा नम्बर 421 रकबा 0.04 है0 वाकै ग्राम झाग तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित आराजीयात में राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.02.2024 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। अप्रार्थीगण की तलबी जरिए रजिस्टर्ड एडी नोटिस से की जावे। यदि उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करे। आयन्दा पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण रजिस्टर्ड एडी से कराई जाकर दिनांक 20.02.2024 को पेश हो।**

न्यायिक दृष्टांत जगदीश बनाम भोपालाराम आरबीजे (21) 2014 के पैरा 78 में अपीलेट कोर्ट के लिए दी गई गाईडलाइन का अवलोकन किया गया। The appellate courts have no jurisdiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte orders which are effective only till next date of hearing and have been passed under

राजस्व अपील प्राधिकारी

रामकरण / फैसला (22/2024)

rule 3 and 3A of order 39 of the code or where there is no order of the trial court on the application of temporary injunction or appointment of receiver.

अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.1.2024 का है जिसके द्वारा अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु दिनांक 20.2.2024 तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10.1.2024 को सुना जाकर अगली तिथि एक माह की न दी जाकर 40 दिन की दी गई है तथा अंतरिम रूप से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। वकील अपीलांट द्वारा बताए गए न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर लागू होते हैं। अपीलाधीन आदेश 225 आरटी एक्ट के तहत अपीलेट कोर्ट द्वारा सुनने हेतु मेंटनेबल है। विवादित खसरा नम्बर 421 गै0मु0 चाह है। बहस के दौरान यह जानकारी में लाया गया कि अपीलांट रामकरण द्वारा उक्त चाह का बैचान दिनांक 10.1.2024 को ही बिरदीचंद रामलाल के पक्ष में कर दिया गया तथा दिनांक 31.1.2024 को इनके नाम नामांतकरण खुल चुका है तथा जमीन अब रामकरण के नाम नहीं है। न्यायालय का यह मानना है कि चूंकि विवादित भूमि का बैचान अपीलांट द्वारा करना पाया जाता है। अतः प्रकरण में वाद बाहुलता नहीं बढ़े इस हेतु यह आवश्यक है कि राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाए। न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता हैं। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली अप्रार्थीगण/अपीलांट की नोटिस तलबी में चल रही है। अप्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा वहा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह मानना है कि अपीलांट/अप्रार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करे, बहस में हिस्सा लेवें। उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.03.2024 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मौजमाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का उभयपक्ष को जवाब व बहस का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र का 4 सप्ताह में निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

22.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बजमेर